न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00251RAAJodhpur2020-107RTA223 Ratnaram ors Vs Punaram etc

01. रतनाराम
02. निम्बाराम
03. देवाराम
04. पेमांराम
05. चैनाराम
06. तेजाराम पिसरान् लिछमणराम, जातियान् जाट, निवासीगण ग्राम रामासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
07. श्रीमती राधा पुत्री लिछमणराम पत्नी कनीराम, जाति जाट, निवासी- सोहन नगर, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली।
08. श्रीमती गंगा पुत्री लिछमणराम, पत्नी मोहनराम, जाति- जाट, निवासी- राजोला कलां, तहसील सोजतसिटी, जिला पाली।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. पुनाराम
2. खुंमाराम
3. विशनाराम
4. मोतीराम
5. मलाराम पिसरान् राजुराम
6. सुआ पुत्री राजुराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- अबकाई की ढाणी, तहसील सोजतसिटी, जिला पाली।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 नवबंर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2017 पूनाराम व अन्य बनाम रतनाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री गौतम भार्गव, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स

श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से छः

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 24 जुलाई 2023

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2017 पूनाराम व अन्य बनाम रतनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28 सितबंर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है। साथ ही अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के विरुद्ध ग्राम रामासनी के खसरा नं. 155 रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा के संबंध में खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2019 को दावा स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2019 को अपीलधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में जो अपीलांट के अधिवक्ता की उपस्थिति प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री में हवाला दिया है, परन्तु उक्त निर्णय में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा की गई बहस के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। अपीलांट के वकील ने अगर अपनी बहस नहीं की तो उस संबंध में भी उल्लेख निर्णय में होना था एवं अगर बहस की गई तो अपीलांट के पक्ष में दिये गये तर्क का भी उल्लेख करना था, परन्तु इस संबंध में कोई उल्लेख निर्णय एवं डिक्री में नहीं किया गया, जिससे बखूबी साबित है कि रेस्पोडेंट के पक्ष में जो निर्णय पारित किया गया है, पूर्णरूप से गलत व एकपक्षीय है। प्राथमिक डिक्री की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक बाला एवं हल्का पटवारी रामासनी ने फर्द मौका दिनांक 07.11.2019 को मौके पर जाकर तैयार की जिसमें उल्लेख किया गया है कि आज दिनांक 07.11.2019 को श्रीमान् तहसीलदार साहब बिलाड़ा के आदेशः क्रमांकः भू.अ. /निर्णय/डिक्री पालना/2019/3848 दिनांक 30.10.2019 की अनुपालना में राजस्व मूल वाद संख्या 30/2017 पुनाराम वगैरह बनाम रतनाराम वगैरह अन्तर्गत धारा 88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्राथमिक डिक्री की पालना में ग्राम रामासनी के खसरा नं. 155 रकबा 32.18 बीघा के मावे पर मय हल्का पटवारी रामासनी के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर खसरा नं. 155 रकबा 32.18 बीघा पर वादी पुनाराम, खुंमाराम, विशनाराम, मोतीराम, मलाराम पिसरान् राजुराम, सुवादेवी पुत्री राजुराम का मौके पर कब्जा काश्त नहीं था। मौके पर प्रतिवादीगण निम्बाराम, देवाराम पिसरान् लिछमणराम का है। उन्होंने सीमांकन नहीं करने दिया। उन्होंने एतराज किया कि पैमाईश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर रिपोर्ट मेरे खेत की पेश नहीं की जावे। जहां पर उपस्थित रुबरु मौतबिरान् एवं वादी प्रतिवादीगण को फर्द मौका पढकर सुनायी गई। तत्पश्चात भू-अभिलेख बाला द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 15.11.2019 को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया, वह पूर्णरुप से गलत, विधि विरुद्ध एवं बिना नाप चौक किये एवं बिना सीमा ज्ञान के रेस्पोडेंट से मिलकर तैयार किया गया, जो गलत होने सें हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव तैयारी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम{राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही तैयार किया गया है। रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि का होना मानकर 1/2 हिस्से को अलग तरमीम करने की प्रार्थना की है, जबकि मौके पर संपूर्ण खेत एक चक में था, जिसे रेस्पोडेंट से मिलकर भू-अभिलेख निरीक्षक ने रेस्पोडेंट संख्या एक से छः के पक्ष में खसरा नं. 155 के खण्ड यानि विभाजन रेस्पोडेंट के पक्ष में कर दिया, जिसे भी बखूबी साबित है कि जो प्राथमिक डिक्री की रिपोर्ट बनाई गई, वह प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेंट द्वारा चाही गई प्रार्थना पत्र से हटकर हैं। वादी द्वारा अपने कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य शपथ-पत्र पेश नहीं किये। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट अनपढ व मजदूरी पेशा व्यक्ति होने के कारण एवं अपीलांट की ओर से कार्यवाही देवाराम द्वारा देखी जा रही थी एवं देवाराम बीमार होने व कृषि कार्य से बाहर रहने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया, जिस कारण निर्णय के संबंध में जानकारी नहीं हो पाई। हाल ही में रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को बेदखल करने व अन्य व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देने पर एवं न्यायालय में निर्णय उनके पक्ष में होने बाबत् अपीलांट की ओर से निर्णय की प्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.09.2020 को प्राप्त हुई, जिसे पढाने पर पहली बार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2017 पूनाराम व अन्य बनाम रतनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28 सितबंर 2019 को निरस्त किया जावें एवं मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर पुनः नंबर पर लेकर सुनवाई का निर्देश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि तहसीलदार बिलाड़ा विभाजन नियमों की पूर्ण पालना करते हुए तथा कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स का उज्र सही नहीं है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट्स का अधिकार नहीं है। खातेदारान् के अधिकारों का निर्धारण प्राथमिक डिक्री में होता है, किंतु अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की कोई अपील प्रस्तुत नही की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के पारित होते समय अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे, फिर भी अपीलांट्स द्वारा विलंब से अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावें।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए तथा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जताते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील गुणावगुण निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.11.2019 एवं तहसीलदार बिलाड़ा के पत्र क्रमांकः भू.अ./निर्णय डिक्री पालना/2019/4431 दिनांक 20.11.2019 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक बाला एवं पटवारी हल्का को साथ में रखकर मौका निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाना लिखा गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार के वक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम{राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है तथा सभी खातेदारान् के बंट में आने वाली भूमि में आवागमन के लिए रास्ता रखा गया है। अपीलांट का उज्र है कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा काश्त नही है, किंतु अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कोई उज्र पेश नहीं किया गया, जिससे अपील स्तर पर उनका यह उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2017 पूनाराम व अन्य बनाम रतनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28 सितबंर 2019 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. रतनाराम 02. निम्बाराम 03. देवाराम 04. पेमाराम 05. चैनाराम 06. तेजाराम पिसरान् लिछमणराम, जातियान् जाट, निवासीगण ग्राम रामासनी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर। 07. श्रीमती राधा पुत्री लिछमणराम पत्नी कनीराम, जाति जाट, निवासी- सोहन नगर, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली। 08. श्रीमती गंगा पुत्री लिछमणराम, पत्नी मोहनराम, जाति- जाट, निवासी- राजोला कलां, तहसील सोजतसिटी, जिला पाली।	ब ना म	1. पुनाराम 2. खुंमाराम 3. विशनाराम 4. मोतीराम 5. मलाराम पिसरान् राजुराम 6. सुआ पुत्री राजुराम सभी जातियान् जाट, निवासीगण- अबकाई की ढाणी, तहसील सोजतसिटी, जिला पाली। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 नवबंर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2017 पूनाराम व अन्य बनाम रतनाराम इत्यादि

दावा बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह अपील बतारीख 24 जुलाई 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री गौतम भार्गव [illegible]निब अपीलाण्ट, श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 30/2017 पूनाराम व अन्य बनाम रतनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28 सितबंर 2019 यथावत रखे जाते हैं।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 24 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

24.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

24.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर